

मध्यप्रदेश अधिनियम
(क्रमांक 21 सन् 1994)

मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण)
अधिनियम, 1994

भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम " मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994" है ।
2. इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर है ।
3. यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे ।
2. परिभाषाएं :- इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) किसी स्थापन में किसी सेवा या पद के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है ऐसी सेवा में या पद पर नियुक्त करने के लिए सशक्त प्राधिकारी;
 - (ख) "स्थापन" से अभिप्रेत है राज्य सरकार का या तत्समय प्रवृत्त राज्य के किसी अधिनियम के अधीन गठित किसी स्थानीय प्राधिकरण या कानूनी प्राधिकरण का या किसी विश्वविद्यालय का या किसी ऐसी कम्पनी, निगम या किसी सहकारी सोसाइटी का, जिसमें समादत्त अंश पूंजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा धारित है या किसी संस्था का जो राज्य सरकार से सहायता अनुदान या नगद अनुदान प्राप्त कर रही है, कोई कार्यालय और उसके अंतर्गत ऐसा स्थापन आता है जिसमें कार्यभारित या आकस्मिकता निधि से भुगतान किया जाता है, और ऐसा स्थापन जिसमें आकस्मिक नियुक्तियों की जाती हैं किन्तु इसमें संविधान के अनुच्छेद 30 के अधीन आने वाले स्थापन सम्मिलित नहीं हैं;
 - (ग) "आरक्षण" से अभिप्रेत है सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिये पदों का आरक्षण;
 - (घ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें का यूथ, जिसे संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है ।
 - (ङ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का यूथ, जिसे संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
 - (च) "लोक सेवाएं तथा पद" से अभिप्रेत है स्थापन के किसी कार्यालय में की सेवाएं तथा पद;
 - (छ) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5-पच्चीस-4-84, तारीख 26 दिसंबर 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
 - (ज) किसी रिक्ति के संबंध में "भरती का वर्ष" से अभिप्रेत है किसी वर्ष की पहली जनवरी को प्रारम्भ होने वाली बारह मास की कालावधि, जिसके भीतर ऐसी रिक्ति के प्रति सीधी भरती की प्रक्रिया आरम्भ की जाती है ।
3. अधिनियम का लागू होना :- यह अधिनियम इस अधिनियम में यथा परिभाषित स्थापन को लागू होगा, किन्तु निम्नलिखित नियोजनों को लागू नहीं होगा :-
 - (1) भारत सरकार के अधीन कोई नियोजन
 - (2) विलोपित
 - (3) स्थानान्तरण द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाने वाले पद;
 - (4) विलोपित
 - (5) मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा में की गई नियुक्तियां.

4. पदों के आरक्षण के लिये प्रतिशतता का नियत किया जाना और मूल्यांकन के मानक :-
 (1) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन जब तक कि अन्यथा उपबंधित न किया जाए, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिये आरक्षित पद ऐसे सदस्यों से नहीं भरे जाएंगे जो यथा स्थिति, ऐसी जातियों या जनजातियों या वर्गों के नहीं हैं।

(2) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए लोक सेवाओं और पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए सीधी भरती के प्रक्रम पर निम्नानुसार आरक्षण रखा जाएगा :-

(एक) प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग के पदों में राज्य स्तर पर किसी भरती के वर्ष में उद्भूत होने वाली रिक्तियों के संबंध में निम्नलिखित प्रतिशत :-

अनुसूचित जाति 16 प्रतिशत

अनुसूचित जनजाति 20 प्रतिशत

अन्य पिछड़े वर्ग 14 प्रतिशत

(दो) संभाग या जिला स्तर पर किसी भरती के वर्ष में किसी स्थापन में तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग के पदों के ऐसे प्रवर्गों में उद्भूत होने वाली रिक्तियों का प्रतिशत ऐसा होगा जो कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाए।

(तीन) ऊपर (एक) और (दो) में यथापूर्वोक्त रिक्तियों पर नियुक्तियां ऐसे रोस्टर के अनुसार की जाएंगी, जैसा कि विहित किया जाए :
 परन्तु पूर्वोक्त आरक्षण अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के ऐसे प्रवर्गों को लागू नहीं होगा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सम्पन्न वर्ग (क्रीमी लेयर) के रूप में अधिसूचित किए जाएं।

(3) (क) यदि किसी भरती के वर्ष के संबंध में, उपधारा (2) के अधीन व्यक्तियों के किसी प्रवर्ग के लिए आरक्षित कोई रिक्ति बिना भरी रह जाती है तो ऐसी रिक्ति आगामी या किसी पश्चात्वर्ती भरती के वर्ष में भरी जाने के लिए अग्रनीत की जाएगी।

(ख) जब कोई रिक्ति पूर्वोक्त रीति में अग्रनीत की जाती है तो उसकी गणना उस भरती के वर्ष के लिए, जिसमें वह अग्रनीत की गई है, व्यक्तियों के संबंधी प्रवर्ग के लिये आरक्षित रिक्तियों के कोटे पर नहीं की जाएगी:

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी बिना भरी ऐसी रिक्ति को भरने के लिए किसी भी समय विशेष भरती कर सकेगा और यदि ऐसी रिक्ति ऐसी विशेष भरती के पश्चात् भी बिना भरी रह जाती है तो वह ऐसी रीति में भरी जाएगी जैसी राज्य सरकार विहित करें।

(ग) जब कभी सीधी भरती या पदोन्नति के समस्त मामलों में पूर्ववर्ती वर्ष या वर्षों में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियां बिना भरी रह गई हैं तब बैकलॉग और/या अग्रनीत रिक्तियां पृथक् तथा सुभिन्न समूह मानी जाएंगी और उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या पर आरक्षण की पचास प्रतिशत की अधिकतम सीमा का अवधारण करने के लिए उस वर्ष की, आरक्षित रिक्तियों के साथ नहीं मानी जाएंगी जिसमें वे रिक्तियां भरी जा रही हैं। अन्य शब्दों में, आरक्षित रिक्तियों को भरने पर 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा केवल उन्हीं आरक्षित रिक्तियों पर लागू होगी जो चालू वित्तीय वर्ष में उद्भूत हों और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए पूर्ववर्ती वर्ष या वर्षों की बैकलॉग/अग्रनीत आरक्षित रिक्तियां पृथक् तथा सुभिन्न समूह मानी जाएंगी और 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अध्यधीन नहीं होगी।

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी बिना भरी ऐसी रिक्तियों को भरने के लिए किसी भी समय विशेष भरती कर सकेगा और यदि ऐसी रिक्तियां बिना भरी रह जाती हैं तो उन्हें उस प्रवर्ग जिसके लिए पद या पदों को आरक्षित किया गया है से भिन्न व्यक्तियों द्वारा भरे जाने के लिए किसी भी रीति में अनारक्षित नहीं किया जाएगा।

(4) यदि उपधारा (2) में उल्लिखित प्रवर्गों में से किसी प्रवर्ग से संबंधित कोई व्यक्ति सामान्य अभ्यर्थियों के साथ खुली प्रतियोगिता में योग्यता के आधार पर चयनित हो जाता है तो उसे उपधारा (2) के अधीन ऐसे प्रवर्ग के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा।

(4-क) राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पक्ष में राज्य के कार्यकलाप से संबद्ध सेवाओं या पदों पर किसी वर्ग या वर्गों की भरती और पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए किसी परीक्षा के अर्हकारी अंकों को शिथिल करने हेतु या मूल्यांकन का मानक कम करने के लिए उपबंध कर सकेगी।

(5) यदि इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार के आदेशों के अधीन आरक्षण लागू है तो ऐसे सरकारी आदेश तब तक लागू बने रहेंगे जब तक उन्हें उपन्तरित या विखण्डित नहीं कर दिया जाता है।

(5-क) राज्य सरकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में राज्य की सिविल सेवाओं में पदों के किसी वर्ग या वर्गों के लिए पारिणामिक ज्येष्ठता के साथ पदोन्नति के मामलों में नियम बना सकेगी या कोई अनुदेश जारी कर सकेगी।

5. अधिनियम के अनुपालन के लिए उत्तरदायित्व और शक्तियां :- (1) राज्य सरकार आदेश द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी या किसी अधिकारी या कर्मचारी को, इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व सौंप सकेगी।

(2) राज्य सरकार, उपधारा (1) में निर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी या अधिकारी या कर्मचारी में, इसी रीति में, ऐसी शक्तियां या प्राधिकार विनिहित कर सकेगी जो उपधारा (1) के अधीन उसे सौंपे गये उत्तरदायित्व के प्रभारी निर्वहन के लिए आवश्यक हों।

(6) शास्ति :- (1) कोई नियुक्ति प्राधिकारी जिसे धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन उत्तरदायित्व सौंपा गया है, ऐसी रीति में जानबूझकर कार्य करता है जो इस अधिनियम के प्रयोजनों का उल्लंघन करने या उन्हें विफल करने के लिये आशयित है, या धारा 14-क के निबंधनों के अधीन मिथ्या प्रमाण-पत्र का पृष्ठांकन करता है, नियुक्ति अधिकारी का ऐसा कृत्य उस पर लागू आचरण या सेवा नियमों के अधीन अवचार समझा जाएगा और ऐसे अवचार के लिए उक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाहियों के साथ-साथ सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा अभियोजित किए जाने का दायी होगा और वा दोष सिद्धि पर कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) कोई भी न्यायालय, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

7. अभिलेख मंगाने की शक्ति :- यदि राज्य सरकार की जानकारी में यह बात आती है कि धारा 4 की उपधारा (2) में उल्लिखित प्रवर्गों में से किसी प्रवर्ग का कोई व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों या इस निमित्त सरकारी आदेशों के अनुपालन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है तो वह नियुक्ति प्राधिकारी के अभिलेखों को मंगा सकेगी और ऐसी कार्यवाही कर सकेगी जो वह आवश्यक समझे।

8. चयन समिति में प्रतिनिधित्व :- राज्य सरकार, आदेश द्वारा चयन/छानबीन या पदोन्नति समिति में चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, जहां ऐसी समिति लोक सेवा या पद पर नियुक्ति या पदोन्नति के लिए व्यक्तियों का चयन करने के प्रयोजन के लिए या तो सेवा नियमों के अधीन या अन्यथा गठित की जाती है, ऐसी सीमा तक और ऐसी रीति में जैसी वह आवश्यक समझे, अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारियों का नाम निर्देशन करने के लिए उपबंध कर सकेगी।

9. रियायत और शिथिलीकरण :- (1) राज्य सरकार आदेश द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) में उल्लिखित व्यक्तियों के प्रवर्गों के पक्ष में किसी प्रतियोगिता परीक्षा या साक्षात्कार के लिए फीस के संबंध में ऐसी रियायतें मंजूर कर सकेगी और उच्चतर आयु सीमा को शिथिल कर सकेगी जैसी वह आवश्यक समझे।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के प्रवर्गों के पक्ष में अन्य रियायतों और शिथिलीकरणों जिसके अंतर्गत किसी प्रतियोगिता परीक्षा या साक्षात्कार के लिए फीस में रियायत और उच्चतर आयु सीमा में शिथिलीकरण भी सम्मिलित है और सीधी भरती और पदानुन्नति में आरक्षण के संबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को प्रवृत्त सरकार के आदेश इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो लागू बने रहेंगे जब तक कि उन्हें यथास्थिति उपन्तरित या विखण्डित नहीं कर दिया जाता है।

10. जाति प्रमाण पत्र :- इस अधिनियम के अधीन दिए गए आरक्षण के प्रयोजनों के लिए जाति प्रमाण पत्र, ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा ऐसी रीति में और ऐसे प्रारूप में जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा उपबंध करें, जारी किया जाएगा और जब तक ऐसा उपबंध नहीं किया जाता है, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को प्रवृत्त आदेश लागू बने रहेंगे।
11. कठिनाइयों का दूर किया जाना :- यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न होने वाले ऐसे उपबंध कर सकेंगी जो कठिनाइयां दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।
12. सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण :- इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिये राज्य सरकार या किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. नियम बनाने की शक्ति :- राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेंगी।
14. अनियमित नियुक्तियां शून्यकरणीय होंगी :- इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात्, इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में की गई समस्त नियुक्तियां शून्यकरणीय होंगी।
(14-क नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण :- प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी उसके द्वारा जारी किये जाने वाले नियुक्ति आदेश पर एक प्रमाण पत्र इस आशय का पृष्ठांकन करेगा कि उसने मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (कमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों का और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए अनुदेशों का अनुपालन किया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है)
15. नियुक्तियों की अर्धवार्षिक रिपोर्ट :- (1) राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग द्वारा और उसके अधीनस्थ प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी या स्थापन द्वारा की गई नियुक्तियों की एक अर्धवार्षिक रिपोर्ट उसके द्वारा राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग को ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, जनवरी से जून तक की कालावधि के लिए अगस्त मास में और जुलाई से दिसम्बर तक की कालावधि के लिए फरवरी मास में प्रतिवर्ष प्रस्तुत की जाएगी और उससे संबंधित सुसंगत अभिलेख ऐसी रीति में रखे जाएंगे जो विहित की जाए।
(2) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी ऐसे अभिलेखों की परीक्षा कर सकेगा या नियुक्तियों से संबंधित अभिलेख और रोस्टर नियुक्ति प्राधिकारी से मंगा सकेगा।
(3) नियुक्ति प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे अभिलेख या दस्तावेजों, जानकारी, सहायता और सेवाएं जो उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित की जाएं, जब भी उनकी मांग की जाती है, उपलब्ध कराए।
16. सम्पर्क अधिकारी :- प्रत्येक स्थापन में इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में सम्पर्क अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए राज्य सरकार के समस्त विभाग, प्रथम वर्ग के अधिकारी से निम्न पद श्रेणी के किसी अधिकारी को नाम निर्देशित करेंगे और इस प्रकार नियुक्त सम्पर्क अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो राज्य सरकार, आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करें।
17. स्थायी समिति का गठन :-
(1) एक स्थायी समिति का गठन किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-
(1) मंत्री, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण अथवा मंत्री, पिछड़ा वर्ग कल्याण, मध्यप्रदेश-अध्यक्ष।
(2) मध्यप्रदेश विधान सभा के पांच सदस्य, जो अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे जिनमें से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग में से प्रत्येक का एक-एक सदस्य होगा-सदस्य।
(3) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का प्रभारी सचिव-सदस्य।

- (4) मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का प्रवर्गी सचिव-सदस्य सचिव ।
- (2) स्थायी समिति का गठन राज्य सरकार द्वारा ऐसी कालावधि के लिए किया जाएगा, जो विहित की जाए ।
18. स्थायी समिति के कृत्य :- स्थायी समिति निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात्:-
 (क) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन;
 (ख) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने के उपायों का सुझाव देना;
 (ग) ऐसे अन्य कृत्य, जो राज्य सरकार समय-समय पर समिति को सौंपे ।
19. वार्षिक रिपोर्ट :-राज्य सरकार इस अधिनियम के कार्यकरण पर बनाये गये समस्त नियम, अधिसूचनाएं तथा आदेश यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के समक्ष रखे जाएंगे ।
20. आदेश आदि का रखा जाना :- इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन बनाये गये समस्त नियम, अधिसूचनाएं तथा आदेश यथाशक्य शीघ्र, विधान सभा के समक्ष रखे जाएंगे ।
21. व्यावृत्ति :- इस अधिनियम के उपबंध, इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित के सिवाय, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, उनके अल्पीकारक नहीं ।

भोपाल दिनांक 8 जून 1994

कमांक-6470-इक्कीस-अ.(प्रा.)-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (कमांक 21 सन् 1994) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 टी.पी.एस.पिल्लई, अतिरिक्त सचिव.